कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर (छत्तीसगढ़)

☎ : (0771) 2523769, 2888509, Fax :- 2886152 - E-mail- cfrpr@rediffmail.com

क्रमांक/तक.शा./एफ.सी.ए./8336 रायपुर, दिनांक 5/12/2020

प्रति,

अपर प्रधान **मुख्य वन संरक्षक**
(भू–प्रबंध/व.सं.अ.) **छ.ग. नवा रायपुर**

विषयः– आवेदनकर्ता **फाइबर केबल बिछाने** के गैर वानिकी कार्य हेतु छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी **(चिप्स), रायपुर छत्तीसगढ़** द्वारा महासमुंद जिला के महासमुंद वनमंडल **अंतर्गत "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस–II" के तहत भूमिगत ऑप्टिकल कुल** 5.923 हे वन **भूमि के वन संरक्षण अधिनियम1980 के तहत व्यवर्तन प्रस्ताव ।**
पंजीयन कमांक–FP/CG/OFC/42881/2019

संदर्भः–1. आपका पत्र क./भू–प्रबंध/विविध–I (ए)/115–829/1988 दि. 06.11.2020.
2.वनमंडलाधिकारी महासमुंद वनमंडल महासमुंद का पत्र कमांक/मा.चि./1734 दिनांक 28.11.2020

——o——

विषयातंर्गत संदर्भित पत्र 01 के माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत महासमुंद जिला के महासमुंद वनमंडल अंतर्गत "भारतनेट प्रोजेक्ट फेज– ।।" के तहत 118.467 किमी. लम्बे तथा 0.50 मी. चौड़े वन क्षेत्र कुल रकबा 5.923 हे. वन भूमि (आरक्षित वन भूमि 3.537 हे., संरक्षित वन भूमि 1.529 हे., नारंगी क्षेत्र 0.483 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.374 हे.) में भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पृ. कमांक/एफ–5–08/2020/10–02 नवा रायपुर दिनांक 03.11.2020 द्वारा प्रथम चरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति (14) बिन्दुओं के अधिरोपित शर्तो के आधार पर प्रदान की गई हैं। संदर्भित पत्र (02) के माध्यम से वनमंडलाधिकारी महासमुंद वनमंडल महासमुंद के द्वारा प्रथम चरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया हैं।

अतः पालन प्रतिवेदन के अवलोकन उपरान्त पालन प्रतिवेदन एवं वचन पत्र का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत हैं :–

1.	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नही होंगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है वचन पत्र मय अनुलग्नक–1 संलग्न
2.	प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जावेगा तथा मार्ग परिवर्तित नही की जावेगी।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है वचन पत्र मय अनुलग्नक–2 संलग्न

3.	ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है वचन पत्र मय अनुलग्नक–3 संलग्न
4.	उपरोक्त लाइन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर एवं 1.65 मीटर गहराई होगी। वन्यप्राणी तथा बायो डायवर्सिटी को नुकसान न पहुचे, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय अधिकारी की निगरानी में बिना मशीनों का उपयोग किये मजदूरों द्वारा खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है वचन पत्र मय अनुलग्नक–4 संलग्न
5.	स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमण्डलाधिकारी को पूर्व से सूचित करेंगे ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हों सकें तथा खोदे जा रहे वनभूमि की क्षति को न्यूनतम किया जा सके।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है वचन पत्र मय अनुलग्नक–5 संलग्न
6.	उपरोक्त लाइन राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यप्राणी अभ्यारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जावेगी।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है वचन पत्र मय अनुलग्नक–6 संलग्न
7.	आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात उपयोग किये गए भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु वचनबद्ध रहेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है वचन पत्र मय अनुलग्नक–7 संलग्न
8.	आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है वचन पत्र मय अनुलग्नक–8 संलग्न

9.	आवेदक संस्थान, रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है वचन पत्र मय अनुलग्नक–9 संलग्न
10.	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जायेगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है मय अनुलग्नक–10 संलग्न
11.	वनभूमि हस्तांतरण से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों के शर्तो का पालन किया जाएगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है वचन पत्र मय अनुलग्नक–11 संलग्न
12.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलय, नागपुर, को प्रेषित करेंगे।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है वचन पत्र मय अनुलग्नक–12 संलग्न
13.	बिना भारत सरकार की अनुमति के वनभूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन माना जावेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो तो इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलय नागपुर को निवेदन करेंगे।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है वचन पत्र मय अनुलग्नक–13 संलग्न

14.	क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) के संरक्षण/विकास हेतु समय–समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तो के पालन हेतु आवेदन संस्थान बाध्य होगा।	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है वचन पत्र मय अनुलग्नक–14 संलग्न

अतः प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अंतर्गत प्रथम चरण का पालन प्रतिवेदन अनुशंसा सहित आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

(पालन प्रतिवेदन एवं वचन पत्र 14 नग)

मुख्य वन संरक्षक
रायपुर वृत्त, रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/तक.शा./एफ.सी.ए./8337 **रायपुर, दिनांक** 5/12/**2020**

प्रतिलिपि :–1. वनमंडलाधिकारी महासमुंद वनमंडल महासमुंद को संदर्भित पत्र 02 के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित ।

2. संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) सिविल लाईन रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

मुख्य वन संरक्षक
रायपुर वृत्त, रायपुर (छ.ग.)